निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड

प्रकरण संख्या 14 / 2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड ।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 16.04.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 28.02.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के नाम आवेदन प्रेषित कर प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को तहसीलदार नीमराणा द्वारा खसरा नम्बर 998 / 222 नये नम्बर 1046 / 998 रकबा 0.0458 हैक्टेयर व 1045 / 998 रकबा 0.0917 हैक्टेयर पर 90ए / 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही करवाने बाबत लिखा जाकर इस संबंध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां देने बाबत प्रार्थना पत्र लिखा गया था। लेकिन नियत समय गुजरने के बाद भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।

. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई / 2024 / 615 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 21.02.2024 के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई / 2024 / 428 दिनांक 12.03.2024 के द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नही होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा गया पत्र से अवगत कराते हुए अपने जवाब में अंकित तथ्यो के आधार पर अपील सारहीन होना जाहिर किया। प्रत्यर्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन से पाया गया कि प्रत्यर्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचित किया गया है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)

जिला कलक्टर

आई.ए.एस.

अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर),

कोटपूतली बहरोड